छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2005

(अग्रहायण 24, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम् की धुन बजाई गई।

2. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि दिनांक 15 दिसम्बर, 2005 को सम्पन्न हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में समिति ने वित्तीय कार्य, शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्य के लिए निम्नानुसार अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

वित्तीय कार्य	निर्धारित समय
वर्ष 2005-2006 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार तथा पारण	2 घंटे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1)	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005	30 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005	15 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2005	1 घंटा 30 मिनट
(4)	दंड प्रक्रिया संहिता (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005	30 मिनट
(5)	छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2005	15 मिनट

समिति द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2005 से सभा की बैठकें पूर्वाह्न 11.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक रखी जायें। अपराह्न 1.30 बजे से 3.00 बजे तक भोजन अवकाश रहेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3. निधन का उल्लेख

मान. अध्यक्ष महोदय ने श्री के.आर. नारायणन, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, श्री भेरूलाल पाटीदार, अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं श्री देवदास बंजारे, पंथी नृत्य कलाकार के निधन

पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह), नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10.50 बजे शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 05 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2005
(अग्रहायण 25, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 21 प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1,2,3,5,6 एवं 7 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए ।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 10 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-8356/1929/21-ब/छ.ग./05, दिनांक 29.10.2005 पटल पर रखी ।

3. अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार जुलाई, 2005 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे गए ।

4. नियम 267-क के अधीन सूचनाएं तथा उनके उत्तरों का संकलन

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2005 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया ।

5. राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, विधानसभा द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक - 30 - क की अपेक्षानुसार फरवरी-मार्च 2003 सत्र में दिनांक 28 मार्च, 2003 को पारित छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर विधेयक, 2003 (क्रमांक 16 सन् 2003) जिस पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 1 मार्च, 2005 को प्राप्त हुई है, पटल पर रखी गयी ।

Scanned with OKEN Scanner

6. सभापति तालिका

माननीय अध्यक्ष ने विधानसभा नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया -

1. श्री अघन सिंह ठाकुर
2. श्री विक्रम उसेंडी
3. श्री सत्यनारायण शर्मा
4. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
5. श्री धर्मजीत सिंह

नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा ने जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित राज्य भंडार गृह से चावलों की हेराफेरी के संबंध में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने की मांग की ।

7. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि पूर्व में यह सूचना मान.श्री नंदकुमार पटेल और धनेन्द्र साहू, सदस्य से प्राप्त हो चुकी थी जिसे ध्यानाकर्षण के रूप में स्वीकार किया गया है । आज प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाऐं प्रथम अवसर पर प्राप्त नहीं हुई है इसलिए स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

प्रतिपक्ष के सदस्य, सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, नंदकुमार पटेल, देवव्रत सिंह, धनेन्द्र साहू, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, सत्यनारायण शर्मा, डॉ. शिवकुमार डहरिया, डॉ. शक्राजीत नायक, उदय मुदलियार, अमरजीत भगत एवं डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव ने स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य करने की मांग की ।

माननीय सदस्यों की मांग एवं उनके विचार सुनने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि इस विषय को सोमवार को चर्चा के लिए लूंगा ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर आज ही चर्चा कराने की मांग करते हुए, नारेबाजी की गई ।

8. व्यवस्था

प्रतिपक्ष के सदस्यों की मांग पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि एक माननीय सदस्य का स्थगन आया था जिसे ध्यानाकर्षण के रूप में पूर्व में ही स्वीकार कर लिया गया है । आज, आप सब के द्वारा जो सामूहिक स्थगन प्रस्ताव लाया गया है उस पर उन्होंने सदस्यों के विचार सुन लिए हैं तथा यह निर्णय लिया है कि आज चूंकि ढाई घंटे अशासकीय कार्य है, जिसमें सदस्यों का महत्वपूर्ण अशासकीय कार्य सम्मिलित है, इसलिए इस विषय पर सोमवार को चर्चा होगी ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही संचालन के लिए मान. सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा की ।

Scanned with OKEN Scanner

लगातार व्यवधान रहने से अपराह्न 1.04 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित होकर 1.22 बजे पुन: प्रारंभ हुई । प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की लगातार मांग करते हुए नारेबाजी की गई, तथा सरकार विरोधी नारे लगाए गए ।

निरंतर व्यवधान रहने से अपराह्न 1.27 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 19 दिसंबर, 2005 (अग्रहायण, 28, शक संवत 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2005

(अग्रहायण 28, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1, 2, 4 एवं 6 (कुल 04) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

(11.17 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

2. बहिगर्मन

तारांकित प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा के दौरान मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिगर्मन किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 01 तारांकित एवं 19 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि कार्यसूची के पद क्रमांक 2, 3, 5, 6, 7, 8 के बाद स्थगन प्रस्ताव लिया जाएगा।

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

1. श्री मेघाराम साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (2) के उप खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्रमांक 3 सन् 2005) पटल पर रखा।

2. श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (2) के उप खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2005) पटल पर रखा।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अमर अग्रवाल (वित्त मंत्री) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार - भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त -

(1) विनियोग लेखे वर्ष 2004-2005 (छत्तीसगढ़ सरकार), तथा

(2) वित्त लेखे वर्ष 2004-2005 (छत्तीसगढ़ सरकार)

पटल पर रखे।

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

1. श्री बद्रीधर दीवान, सभापति, प्रवर समिति ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक- 6 सन् 2005) पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

2. डॉ. रामचंद्र सिंहदेव, सभापति ने लोक लेखा समिति का बाईसवां, तेईसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां एवं सत्ताईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

मंहत रामसुंदर दास, सदस्य एवं श्री चैतराम साहू, सदस्य ने क्रमश: 6 एवं एक याचिकाऐं प्रस्तुत की।

7. वर्ष 2005-2006 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2005-2006 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

मान. अध्यक्ष महोदय ने इस अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 20 दिसम्बर, 2005 की तिथि निर्धारित की।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2005 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही ।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया।

9. ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में सम्मिलित दोनों ध्यानाकर्षण पढ़े हुए माने जायेंगे तथा उनके उत्तर पटल पर रखे हुए माने जायेंगे।

10. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने प्रदेश के कुनकुरी स्थित राज्य भंडार गृह निगम के गोदाम से हजारों क्विंटल चांवल गायब होने संबंधी सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, नंदकुमार पटेल, सत्यनारायण शर्मा, धर्मजीत सिंह, रामपुकार सिंह, धनेन्द्र साहू, ताम्रध्वज साहू, डॉ. हरिदास भारद्वाज, उदय मुदलियार, डॉ. शक्राजीत नायक, योगेश्वर राज सिंह, डॉ. चेतन वर्मा, सियाराम कौशिक, अमरजीत भगत, डॉ. शिव कुमार डहरिया एवं श्री गुलाब सिंह की प्राप्त सूचनाओं में से सर्वप्रथम प्राप्त श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य की सूचना पढ़ी।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने (खाद्य मंत्री के स्थान पर) इस पर वक्तव्य दिया।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री नंदकुमार पटेल, देवलाल दुग्गा, मोहम्मद अकबर, डॉ. बालमुकुंद देंवागन, धर्मजीत सिंह, सुश्री रोजलिन बेकमेन, धनेन्द्र साहू, लच्छूराम कश्यप, डॉ. शक्राजीत नायक (भाषण अपूर्ण)

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(3.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

डॉ. शक्राजीत नायक, विजय अग्रवाल

11. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से अनुरोध किया कि मान. सदस्य गण कृपया स्थगन की विषय वस्तु पर ही अपनी बात को केन्द्रित रखें, एक-दूसरे पर आरोप न लगाएं। अगर किसी को आरोप लगाना है तो आरोप लगाने के जो नियम है उसके अंतर्गत ही वे आरोप लगा सकते हैं। सदन के बाहर के सदस्यों के नामों का उल्लेख नहीं हो और सदन के अंदर भी बैठे हुए चाहें इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों। कृपया विषय वस्तु पर अपनी बात केन्द्रित रखते हुए अपनी बात जारी रखें।

सत्यनारायण शर्मा, ताम्रध्वज साहू, नोवेल कुमार वर्मा, देवजी भाई पटेल, उदय मुदलियार, देवव्रत सिंह, डॉ. शिवकुमार डहरिया, भूपेश बघेल, अमरजीत भगत एवं नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने (खाद्य मंत्री के स्थान पर) चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 4.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 20 दिसंबर, 2005 (अग्रहायण, 29, शक संवत 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2005

(अग्रहायण 29, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(11.02 बजे अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री पी.एम.सईद, केन्द्रीय उर्जा मंत्री, भारत सरकार के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.08 बजे 05 मिनट के लिए स्थगित होकर 11.15 बजे पुन: प्रारंभ हुई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1, 2, 3 एवं 4 (कुल 04) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 2 से संबंधित उत्तर स्पष्ट एवं पूर्ण नहीं आने पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि-

3. व्यवस्था

कृपया मान. मंत्रीगण इस बात को सुनिश्चित करें कि जो प्रश्न रहता है, उसके अनुसार स्पष्ट उत्तर अवश्य आना चाहिए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 11 तारांकित एवं 23 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

प्रश्नकाल समाप्त होते ही प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए । प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार व्यवधान तथा नारेबाजी की गई।

4. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 को संपन्न हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में समिति ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

	शासकीय विधि विषयक कार्य	निर्धारित समय
(1)	छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2005	15 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2005	15 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005	15 मिनट

(4) छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2005 45 मिनट

(5) छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005 45 मिनट

(6) छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005 15 मिनट

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 20 दिसम्बर, 2005 से 23 दिसम्बर, 2005 तक भोजन अवकाश स्थगित रखा जाए।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय अस्पताल, रायपुर में अव्यवस्था व्याप्त होने की ओर राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित किया।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी जारी रही)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार व्यवधान एवं नारेबाजी करने पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्न व्यवस्था दी-

6. व्यवस्था

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस सदन जिसके वे एक अविभाज्य अंग हैं, की गरिमा बनाएं रखें। सदन में नारेबाजी सदस्यों एवं सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है।

मैं सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि वे अपने विवेक का प्रयोग सदन की गरिमा बनाए रखने में करें। जिस मामले पर नारेबाजी कर रहे हैं, उस पर मैंने स्थगन के माध्यम से कल पूरी चर्चा का अवसर दिया है और अब नारेबाजी का कोई औचित्य नहीं है।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 2 पर डॉ. शक्राजीत नायक, श्री रविन्द्र चौबे एवं श्री धर्मजीत सिंह का नाम माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पुकारा गया किन्तु प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी एवं ध्यानाकर्षण सूचना नहीं पढ़ने के कारण इस पर चर्चा नहीं कराई गई।

8. नियम 267 (क) के अधीन विषय

(1) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिलान्तर्गत विद्युतीकरण किये जाने,

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष योजनान्तर्गत निजी शालाओं के चयन में पारदर्शिता न बरते जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

9. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अघनसिंह ठाकुर, सभापति सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति ने वर्ष 2005-2006 का प्रथम कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मंहत रामसुंदर दास, सदस्य का नाम पुकारा गया किन्तु उन्होंने उनके द्वारा प्रस्तुत याचिका नहीं पढ़ी।

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने कार्य सूची में दर्ज याचिकाएं प्रस्तुत की।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने वर्तमान सत्र की अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में तथा विधेयकों की महत्ता, उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्रमांक 23 (2) तथा 24 को शिथिल कर निम्नांकित विधेयकों को आज ही पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है :-

(1) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2005), तथा

(2) छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 25 सन् 2005)

(1) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार व्यवधान एवं नारेबाजी के कारण 12.28 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित होकर 12.55 बजे पुन: प्रारंभ हुई।

(माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

12. वर्ष 2005-2006 के द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सूचित किया कि अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती है और उस पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत कर दें।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि:-

दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 67, 75, 77, 78, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तीन सौ अनठान्वे करोड़, चवालीस लाख, पैंतीस हजार, नौ सौ बयासी रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार व्यवधान तथा नारे लगाए जाते रहे।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया-

श्री अघन सिंह ठाकुर

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार व्यवधान एवं नारेबाजी के मध्य माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रतिपक्ष के मान. सदस्यों से पुन: अपेक्षा एवं अनुरोध के साथ व्यवस्था दी कि -

13. व्यवस्था

सभा, सभा के कार्यों को संपादित करने के लिये है। इसका राजनैतिक नारेबाजी के लिये प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा उपयोग पर मुझे अत्यन्त दु:ख है।

मेरा माननीय सदस्यों से पुन: अनुरोध है कि जनहित में वे कृपया वित्तीय एवं विधिक जैसे महत्वपूर्ण कार्य में हिस्सा लें।

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया।

14. घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज माननीय सदस्यों के लिये दोपहर भोज लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकार बंधुओं के लिये पत्रकार कक्ष के समीप माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आयोजित है । माननीय सदस्यगण एवं पत्रकार बंधु सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया ।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 4) विधेयक, 2005

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 4) विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 4) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची विधेयक का अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने ।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 4) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(2) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

श्री चंदूलाल साहू, सदस्य ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर व्यवधान एवं नारे लगाए गए।

मान. प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय ने पुन: व्यवस्था दी-

16. व्यवस्था

सदन, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए है, नारेबाजी के लिए नहीं। आसंदी के बार-बार अनुरोध के बावजूद यदि प्रतिपक्ष के सदस्य सभा की कार्यवाही में व्यवधान कर रहे हैं कार्यवाही का संचालन निर्बाध रूप से चले यह देखना मेरा कर्त्तव्य है। जिस विषय पर नारेबाजी हो रही है, उसके संबंध में सरकार का बयान स्थगन सूचना के उत्तर में कल आ चुका है अत: अब इसका कोई औचित्य नहीं है।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही में हिस्सा लेने का पुन: अनुरोध किया । किन्तु प्रतिपक्ष के सदस्य निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी करते रहे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंडश: विचार हुआ।

खंड 2 विधेयक का अंग बना।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

17. नियम 139 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रदेश में मलेरिया, पीलिया तथा डायरिया बीमारी फैलने से मौत होने तथा रोग-ग्रस्त मरीजों की संख्या बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्व श्री देवव्रत सिंह, रविन्द्र चौबे, नंद कुमार पटेल, सदस्य का नाम पुकारा, किंतु सदस्यों के द्वारा चर्चा में हिस्सा नहीं लिया गया।

दोपहर 1.55 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 21 दिसंबर, 2005 (अग्रहायण, 30, शक संवत 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2005

(अग्रहायण 30, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1.बधाई

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दो साल का अध्यक्षीय कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने पर श्री ध र्मजीत सिंह, श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री, श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री नोवेल कुमार वर्मा एवं श्री नंद कुमार पटेल ने माननीय अध्यक्ष को बधाई दी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद देते हुए सदन के संचालन में माननीय सदस्यों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 24 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 5 (कुल 05) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 01 तारांकित एवं 14 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. बहिर्गमन

प्रश्न संख्या 3 की चर्चा के दौरान शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री रविन्द्र चौबे के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन किया गया।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक-16 सन् 2005) की धारा 6 की उप धारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान 2005-2006 के संदर्भ में आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखी।

प्रश्नकाल समाप्त होते ही श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान एवं नारेबाजी की गई।

लगातार व्यवधान रहने से अपराह्न 12.07 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित होकर 12.27 बजे पुन: प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से सभा की कार्यवाही संचालन में सहयोग की अपेक्षा की।

लगातार व्यवधान रहने से अपराह्न 12.31 बजे पुन: सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित होकर 1.21 बजे पुन: प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग का अनुरोध किया।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने कार्यसूची में सम्मिलित ध्यानाकर्षण की प्रथम सूचना के लिए श्री सत्यनारायण श र्मा, सदस्य का नाम पुकारा किन्तु उन्होंने अपनी ध्यानाकर्षण सूचना नहीं पढ़ी।

(1) श्री लच्छूराम कश्यप, सदस्य ने जवाहर आदिम जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना में शासन को आर्थिक हानि पहुँचाये जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य गण नारेबाजी करते हुए गर्भ गृह में आ गए।)

6. निलंबन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम 250 (1) के अंतर्गत निम्नांकित सदस्य सभा के गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण स्वमेव निलंबित हो गये हैं।

श्री महेन्द्र कर्मा, श्री भूपेश बघेल, श्री बोधराम कंवर, श्री गुलाब सिंह, श्री योगेश्वर राज सिंह, महंत रामसुंदर दास, डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, श्री रविन्द्र चौबे, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री ताम्रध्वज साहू, श्री उदय मुदलियार, श्री चन्द्रभान, श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री नंदकुमार पटेल, डॉ. चेतन वर्मा, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री राजकमल सिंघानिया, श्री मोतीलाल देवांगन, श्री सियाराम कौशिक, श्री चैतराम साहू, श्री ध र्मजीत सिंह, श्री धनेन्द्र साहू, श्री मोहम्मद अकबर, श्री कवासी लखमा, श्री गणेशशंकर बाजपेयी, श्री रा मपुकार सिंह, श्री ओंकार शाह, डॉ. शिवकुमार डहरिया।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित किए गए सदस्यों से सदन छोड़ने की अपेक्षा की।

श्री गणेशराम भगत, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने श्री लच्छूराम कश्यप, सदस्य के ध्यानाकर्षण के संबंध में वक्तव्य दिया।

नेता प्रतिपक्ष, श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य गर्भगृह में बैठकर नारेबाजी करते रहे।

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि सुचारू सदन संचालन की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सदस्य निलंबित किए गए हैं, उन्हें सदन से बाहर किया जाए।

माननीय सदस्य ने व्यवस्था देते हुए कहा कि उनका प्रयास है कि मार्शल का उपयोग न हो ।

7. नियम 267 (क) के अधीन विषय

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक - 6 के मध्य महासमुंद जिले में निर्मित महानदी का गांधी पुल जर्जर होने संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में दर्ज याचिकाऐं उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा निरंतर व्यवधान व नारेबाजी के मध्य मान. अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि-

9. व्यवस्था

इस सभा के सम्मान की रक्षा करने का दायित्व सदस्यों का है यदि वे स्वंय उनके इस पवित्र सदन की गरिमा बनाऐ रखना नहीं चाहते हैं तो यह मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूँ।

कार्य प्रक्रिया के अन्तर्गत आचरण नहीं करने, आसन्दी के निर्देशों का पालन नहीं करने और सभा भवन को हल्के-फुल्के ढंग से लेने के आचरण के प्रति मैं केवल दुख, क्षोभ एवं खेद ही व्यक्त कर सकता हूँ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने वर्तमान सत्र की अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में तथा विधेयकों की महत्ता, उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्रमांक 23 (2) तथा 24 को शिथिल कर निम्नांकित विधेयकों को आज ही पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है:-

(1) छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 21 सन् 2005),

(2) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005)

(3) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 23 सन् 2005), तथा

(4) छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2005 (क्रमांक 27 सन् 2005)

(1) छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री हेमचंद यादव, जलसंसाधन मंत्री ने छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2005 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री हेमचंद यादव, जलसंसाधन मंत्री ने छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005

श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि मंत्री ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि मंत्री ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2005 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया।

(4) छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2005

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2005 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

श्री देवजी भाई पटेल तथा श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य द्वारा विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए गए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 8 व अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य गर्भगृह में निरंतर नारेबाजी करते रहे।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए माननीय अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा लगातार सदन की गरिमा तोड़ी जा रही है, अभी तक छत्तीसगढ़ विधानसभा की गरिमा नहीं तोड़ी गई है, इसलिए निलंबित माननीय सदस्यों को सदन से बाहर चले जाना चहिए चूँकि इससे सदन की गरिमा बाधित हो रही है, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि सदन की गरिमा बाधित न हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि उन्होंने सदन की गरिमा माननीय सदस्यों के विवेक पर छोड़ दिया
है, कि सदस्य सदन की गरिमा किस स्तर तक बनाए रखना चाहते हैं या नहीं।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने ।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ।

छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 विधेयक का अंग बना।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

12. नियम 139 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री देवजी भाई पटेल ने चर्चा प्रारंभ की। श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया।

गर्भगृह में बैठे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी की गई।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा की जा रही टिप्पणी तथा असंसदीय आक्षरण पर आसंदी का ध्यान आकर्षित किया एवं संसदीय मर्यादा के अनुरूप आचरण की अपेक्षा की।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की कोई भी टिप्पणी या कथन रिकार्ड में नहीं आयेगा।

13. घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकार बंधुओं के लिये पत्रकार कक्ष के समीप दोपहर भोज की व्यवस्था माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा की गई है । माननीय सदस्यों एवं पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि वे सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

14. निलंबन अवधि की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्य श्री देवव्रत सिंह जो पश्चात गर्भगृह में आये सहित गर्भगृह में प्रवेश करने वाले समस्त सदस्यों के लिए उन्होंने दिनांक 22 दिसम्बर की बैठक की शेष अवधि हेतु निलंबन अवधि निर्धारित की है।

श्री गणेश राम भगत, पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अपराह्न 2.18 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 23 दिसंबर, 2005 (पौष, 2, शक संवत 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2005

(पौष 2, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 (कुल 08) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में 31 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

प्रश्नकाल समाप्त होते ही नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा ने कुनकुरी चावल घोटाले पर सरकार की उदासीनता के संबंध में उल्लेख किया।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा लगातार किए जा रहे असंसदीय आचरण पर दुख व्यक्त किया तथा कुनकुरी चांवल मामले पर सरकार का पक्ष रखा।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई। माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से कार्यवाही में सहयोग की अपेक्षा की।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005, विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7 - 16/2005/1/6,दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 पटल पर रखी।

2. श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ 3-62/2005/38, दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 पटल पर रखा।

3. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक - 30 - क की अपेक्षानुसार द्वितीय विधान सभा के जुलाई, 2005 सत्र में पारित 10 विधेयकों जिन पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हुई, का विवरण पटल पर रखा।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण को पत्रक भाग -दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी जारी रही)

4. ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 34 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा निय मावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम छ: ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में यह प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(1) माननीय अध्यक्ष ने कार्यसूची में सम्मिलित ध्यानाकर्षण की प्रथम सूचना के लिए श्री महेन्द्र कर्मा का नाम पुकारा, किन्तु सदस्य द्वारा अपनी ध्यानाकर्षण सूचना नहीं पढ़ी गई।

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जिला दुर्ग नगर पंचायत, थान खम्हरिया में प्रकाश व्यवस्था के उपकरण खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यानाकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यगण व्यवधान एवं नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आ गए।)

5. निलंबन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम 250 (1) के अंतर्गत निम्नांकित सदस्य सभा के गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण स्वमेव निलंबित हो गये हैं।

1. श्री भूपेश बघेल 2.श्री नंदकुमार पटेल 3. श्री रविन्द्र चौबे 4.श्री गुलाब सिंह 5. डॉ0 रामचन्द्र सिंहदेव 6. श्री धर्मजीत सिंह 7. श्री महेन्द्र कर्मा 8.डॉ. शक्राजीत नायक 9.श्री गणेश शंकर बाजपेयी 10.श्री सत्यनारायण शर्मा 11. डॉ. हरिदास भारद्वाज 12. डॉ. चेतन वर्मा 13. डॉ. शिवकुमार डहरिया 14. श्री चन्द्रभान 15. श्री राम दयाल उइके 16. श्री राजकमल सिंघानिया 17.श्री मोतीलाल देवांगन 18.श्री सियाराम कौशिक 19.श्री धनेन्द्र साहू 20.श्री देवव्रत सिंह 21.श्री योगेश्वर राज सिंह 22.श्री मोहम्मद अकबर 23.श्री चैतराम साहू 24. महंत रामसुन्दर दास 25.श्री कवासी लखमा 26.श्री ओंकार शाह 27.श्री बलराम सिंह 28.श्री राजेन्द्र पामभोई।

समस्त सदस्यों को आज की कार्यवाही से निलंबित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि माननीय सदस्य कृपया सभा कक्ष से चले जाएं।

ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 2 पर चर्चा के दौरान श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य द्वारा आरोपात्मक कथन पर श्री अमर अग्रवाल मंत्री नगरीय प्रशासन द्वारा आपत्ति करते हुए आसंदी से व्यवस्था की अपेक्षा की ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी गई कि -

6. व्यवस्था

कोई भी सदस्य किसी मंत्री या किसी माननीय सदस्य पर यदि कोई आरोप लगाता है तो आरोप लगाने के पहले उसे लिखित रूप से सूचना देना चाहिये। यह नियम है और स्थाई आदेश है। माननीय सदस्य गण बिल्कुल चलते-फिरते आरोप लगाने की आदत से अपने को बतायें क्योंकि यह संसदीय पर म्परा और मर्यादा के विपरीत है।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(3) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने राजधानी रायपुर में अव्यवस्थित यातायात से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यानाकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(12.41 बजे उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

(4) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने प्रदेश में स्पंज आयरन उद्योग बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री, उद्योग का ध्यानाकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री उद्योग ने इस पर वक्तव्य दिया।

(शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध स्वरूप श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने गर्भगृह में प्रवेश किया।)

8. निलंबन

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम 250 (1) के अंतर्गत गर्भगृह में प्रवेश करने के फलस्वरूप श्री नोवेल कुमार व र्मा स्वमेव निलंबित हो गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने श्री नोवेल कुमार वर्मा को 10 ि मनट के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित किया है।

9. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

कार्यसूची में सम्मिलित ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 05 एवं 06, संबंधित सदस्यों के निलंबन के कारण व्यपगत।

10. पढ़ी इई मानी गई सूचनाएं तथा वक्तव्य

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि अब वे कार्यसूची के पद 4 के उप पद (7) से (34) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारेंगे । उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुये माने जायेंगे :-

(1) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य की जिला बिलासपुर, सीपत में निर्माणाधीन एन.टी.पी.सी. प्लांट में सुरक्षा के अभाव में मजदूरों की मौतें होने,

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य की निजी मेडिकल डेंटल एवं नेचरोपैथी कालेजों में फीस वसूली में अनियमितता किये जाने,

(3) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के संचालन में अनियि मतता किये जाने,

(4) श्री बालमुकुंद देवांगन, सदस्य की जिला दुर्ग विकास खण्ड धमधा में दुकान आवंटन में अनियमितता किये जाने,

(5) श्री लच्छूराम कश्यप, सदस्य की आदिवासी परिवार को बैल जोड़ी वितरित किये जोन में अनियमितता किये जाने,

(6) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में नलकूप खनन की निविदा स्वीकृति में अनियमितता किये जाने,

(7) श्री लच्छूराम कश्यप, सदस्य की सर्वशिक्षा अभियान के तहत शाला भवन एवं अन्य भवनों के निर्माण कार्य से शिक्षकों को मुक्त किये जाने बाबत् ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन (पटल पर) में पढ़ी हुई मानी गई तथा संबंधित मंत्री गण के वक्तव्य पटल पर रखे गए माने गए।

11. नियम 267-क के अधीन सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने नियम 267- क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 17 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 23.12.2005 को सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

निम्न लिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य की औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थानीय बेरोजगारों को उपेक्षित किये जाने संबंधी,

(2) श्री प्रीतम साहू, सदस्य की जिला जांजगीर-चांपा में गौरी गणेश कोसा बुनकर सहकारी समिति मर्यादित चन्द्रपुर संस्था के चुनाव में अनियमितता करने संबंधी,

(3) श्री लच्छूराम कश्यप, सदस्य की शिक्षा सत्र में शिक्षण संस्थाएं बंद रहने संबंधी,

(4) श्री संजीव शाह, सदस्य की जिला राजनांदगांव, विकास खण्ड मानपुर के ग्राम पंचायत जक्के के अपूर्ण प्राथमिक शाला के निर्माण करने संबंधी, तथा

(5) श्री रजिन्दर पाल सिंह भाटिया, सदस्य की राजनांदगांव जिले के छुरिया विकास खण्ड के कृषकों को शासकीय योजना का लाभ देने सबंधी सूचना पढ़ी।

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सदस्य ने खैरथा विधानसभा क्षेत्र संबधी 07 याचिकाएं प्रस्तुत की।

13. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में समय वृद्धि का प्रस्ताव

(1) रायपुर स्थित सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि

श्री देवजी भाई पटेल, सभापति ने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 194 के उप नियम (1) के परन्तुक की अपेक्षानुसार प्रस्ताव किया कि -

रायपुर स्थित सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विशेषाधिकार समिति

(2) नियम - 228 के अन्तर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि

डॉ. सुभाऊ कश्यप, सभापति विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव किया कि विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने निम्नलिखित विधेयकों को वर्तमान सत्र की अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में तथा विधेयकों की महत्ता, उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्रमांक 23 (2), 24 तथा विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के

उप नियम (1) को सदन की अनुमति की प्रत्याशा में शिथिल कर आज ही पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है :-

(1) छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005 (क्रमांक 28 सन् 2005),

(2) छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 29 सन् 2005), तथा

(3) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 30 सन् 2005)

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(1) छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया।

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 विधेयक के अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005

श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक के अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 30 विधेयक के अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए तथा विधेयक के संबंध में संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

16. सूचना

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज माननीय सदस्यों के लिये दोपहर भोज लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकार बंधुओं के लिये पत्रकार कक्ष के समीप माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा आयोजित है। माननीय सदस्यगण एवं पत्रकार बंधु सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

(4) छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2005

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 18 विधेयक के अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2005 पारित किया जाए तथा विधेयक के संबंध में संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(5) छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 19 विधेयक के अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सर्व सम्मति से विधेयक पारित हुआ।

(6) छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 विधेयक के अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(7) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ।

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड 2 में शब्द 70000 के स्थान पर 85000 किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने संशोधन को स्वीकार करने की सहमति दी ।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित खंड 2 विधेयक का अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यथा संशोधित छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित विधेयक पारित हुआ।

(2.27 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

17. नियम - 169 के अन्तर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा, श्री देवजी भाई पटेल द्वारा श्री रमेश शर्मा, राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यकारिणी, एकता परिषद, रायपुर के विरूद्ध माननीय सदस्य को चेतावनी देते हुए जन कार्यवाही की धमकी देने तथा सार्वजनिक रूप से माननीय सदस्य को अपमानित करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने को आधार बनाकर प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 20 जुलाई, 2005, जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप दी है।

18. नियम - 167 के अन्तर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम - 167 के अन्तर्गत उनके समक्ष विचाराधीन निम्नलिखित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं को उन्होंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

1. माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा, श्री अघन सिंह ठाकुर एवं श्री छतराम देवांगन द्वारा संयुक्त रूप से श्री जोस वर्गीस, भूतपूर्व विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़ के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 02 दिसम्बर, 2004.

2. माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा, श्री भूपेश बघेल द्वारा माननीय श्री मेघाराम साहू, तत्कालीन मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं श्री बी.के.एस.रे, तत्कालीन प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 03 मई, 2005.

3. माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा, श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल द्वारा श्रीमती इफ फतआरा, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा, जिला बिलासपुर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 20 जून, 2005.

19. सत्र का समापन

माननीय अध्यक्ष का उदबोधन

द्वितीय विधानसभा का यह सप्तम सत्र दिनांक 15 दिसम्बर,2005 से आरंभ हुआ और आज इसकी अंतिम बैठक है। इस अवसर पर मैं सदन के संचालन में समस्त सदस्यों के द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

इस 9 दिवसीय सत्र में कुल 6 बैठकें हुईं और इन 6 बैठकों में महत्वपूर्ण शासकीय एवं अशासकीय कार्य सम्पादित हुआ। इस सत्र की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि विगत एक वर्ष से इस सभा की कार्यवाही को रेडियो अथवा दूरदर्शन से प्रसारित करने के हमारे प्रयासों को सफलता प्राप्त हुई और ह म प्रति दिन सभा की बैठकों के प्रश्नकाल का प्रसारण छत्तीसगढ़ दूरदर्शन के सहयोग से कर सके और शहरी तथा दूरस्थ इलाकों में रहने वाली इस प्रदेश की दो करोड़ सात लाख जनता को यह अवसर प्राप्त हो सका कि वे उनके प्रतिनिधि सभा में कैसे और किस प्रकार से जनहित के मामलों को उठा रहे हैं और सरकार जनहित के मामलों में क्या और कैसी कार्यवाही कर रही है, जानने का अवसर प्राप्त हो सका।

सत्र समापन के इस अवसर मैं समस्त माननीय सदस्यों एवं माननीय मंत्रियों को इस अवसर पर बधाई देना चाहूंगा कि प्रश्नकाल जिसकी कार्यवाही को जैसा मैने उल्लेख किया, सम्पूर्ण प्रदेश में प्रति दिन प्रसारित किया गया, अपने-अपने दायित्वों का योग्यतापूर्ण रूप से सफलतापूर्वक पालन किया और प्रदेश की जनता के समक्ष एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।

मैं इस अवसर पर इस सभा को इसलिए भी बधाई देना चाहूंगा और समस्त सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा कि दिनांक 14 से 18 नवम्बर, 2005 के मध्य आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी एवं विधान मण्डलों के सचिवों के सम्मेलन में उन्होंने न केवल सहयोग किया अपितु सक्रिय भागीदारी भी की। फलस्वरूप हम इस अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्मेलन को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सके और इस प्रदेश की प्रतिष्ठा पूरे देश में स्थापित करने में सफल हो सकें। एक विशेष बात जो इस सम्मेलन के दौरान प्रथम बार हुई, यह भी रही कि लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जो इस देश की संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने इस सभा में हमारे सदस्यों को सम्बोधित किया और उनका मार्गदर्शन किया । मैं इस आयोजन में सहयोग के लिए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा जी, वित्त मंत्री श्री अमर अग्रवाल जी, संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, वन मंत्री श्री ननकीराम कंवर जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री अजय चन्द्राकर जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने निरंतर इस सम्मेलन में मुझे सहयोग प्रदान किया।

वर्तमान सत्र के अवसर पर दो ऐसे भी मौके आये, जिन्हें हमने उल्लासपूर्वक अपनी अभिव्यक्ति के साथ मनाया। प्रथम तो इस विधानसभा की पॉचवीं वर्षगॉठ और दूसरा आप सबके द्वारा मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर व्यक्त की गई भावनायें।

इस लघु सत्र में कुल 6 कार्य दिवसों में कुल साढे 16 घण्टे चर्चा हुई। इस सत्र में प्रश्न की 704 सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिसमें से 332 सूचनायें ग्राह्य हुई और ग्राह्य सूचनाओं में 184 तारांकित प्रश्न एवं 148 अतारांकित प्रश्न रहे । तारांकित प्रश्नों में सभा में 28 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे गये। इस लघु सत्र में नियम 139 के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से 6 सूचनायें गाह्य हुयीं और 1 सूचना पर सभा में चर्चा हुई। 17 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुये, 3 अशासकीय संकल्प चर्चा के लिये सदन में रखे गयें, किन्तु संकल्प प्रस्तुत नहीं हुये। स्थगन प्रस्ताव की कुल 53 सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिनमें से ग्राह्य प्रस्ताव की सूचनायें 18 रहीं। शून्यकाल की 54 सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिनमें से 33 सूचनायें ग्राह्य हुयीं और 21 सूचनायें अग्राह्य हुईं।

वर्तमान सत्र में 256 ध्यानाकर्षण की सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिनमें से 68 सूचनायें ग्राह्य और 152 सूचनायें अग्राह्य हुयीं। इस सत्र में 13 विधेयकों की सूचनायें इस सचिवालय को प्राप्त हुई और प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित विधेयक को मिलाकर 14 विधेयक पारित हुये। विभिन्न समितियों के 8 प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गये और 28 याचिकायें सदन में प्रस्तुत की गईं।

विगत सत्र में इस सभा ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2005 पारित किया था, जो अधिनियम का स्वरूप ले चुका है और इस अधिनियम के प्रावधानों के पालन में वित्त

मंत्री जी ने दिनांक 21.12.2005 को वित्तीय समीक्षा सभा पटल पर रखी, जिससे यह सभा, सभा द्वारा पारित बजट की तिमाही स्थिति से निरंतर अवगत रह सकती है और इस पर चर्चा के माध्यम से शासन को सुझाव एवं मार्गदर्शन भी दे सकती है। वर्तमान सत्र में द्वितीय अनुपूरक अनुमान भी प्रस्तुत किया गया और पारित हुआ।

सत्र के समापन के अवसर पर यह परम्परा रही है कि सत्र में सम्पादित कार्यों का विश्लेषणात्मक ब्यौरा दिया जाता है, किन्तु इसके साथ मैं इस अवसर पर कुछ बिन्दु आप सबके विचार के लिए रखना चाहता हूँ। यह सभा संसदीय प्रजातंत्र में इस प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था है और विगत वर्षों में जनहित के मामलों में सामंजस्य एवं समन्वय तथा एक मत से निर्णय करने तथा उत्कृष्ट संसदीय संस्कृति के अनुरूप सभा की कार्यवाही के संचालन की सुनहरी परम्पराएँ स्थापित हुईं। मैं बहुत दु:खी मन से इस समापन अवसर पर इस बात का उल्लेख कर रहा हूँ कि इस सत्र में राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के सामने संसदीय संस्कृति को थोड़ा आघात पहुँचा है। इस सभा की इस बात के लिए पूरे देश में कीर्ति है कि हमने नियमों में इस बात का समावेश किया है कि इस सभा की गरिमा बनाये रखने के लिए माननीय सदस्य गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेंगे और यदि गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो वे स्वमेव निलम्बित हो जायेंगे और निल म्बन की अवधि उतनी होगी, जितनी कि आसंदी पश्चात् निश्चित करें और इस प्रावधान के साथ-साथ इस प्रावधान का पालन भी इस सभा में किया जाता है। नियमों में इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि उत्तेजना के क्षणों में भी माननीय सदस्य सभा के अंदर ऐसा कोई आचरण नहीं करें, जिससे इस सभा की गरिमा को तनिक भी आघात पहुँचे। इस सत्र में उत्तेजना के क्षणों में न केवल पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी की, अपितु प्रतिपक्ष के सदस्यों ने योजनाबद्ध रूप से सभा के गर्भगृह में भी प्रवेश किया। यही नहीं, जब वे गर्भगृह में प्रवेश के कारण नियमों के अंतर्गत स्वमेव निलम्बित हो गए और आसंदी ने उन्हें सभा कक्ष से बाहर जाने हेतु अनुरोध किया, उसके बावजूद वे न केवल गर्भगृह में ही रहें, अपितु लम्बे स मय तक नारेबाजी भी करते रहें और आसंदी के निर्देशों के अनुरूप सभा की कार्यवाही में बाधा भी पहुँचायी और यह टिप्पणी भी की कि उन्हें मार्शल के द्वारा बाहर निकाला जावे। माननीय सदस्यों का यह आचरण, जिसे दर्शक दीर्घा में इस प्रदेश की जनता एवं अन्य राज्यों से आये दर्शकों ने भी देखा, निश्चित तौर पर सभा की गरिमा को आघात पहुँचाने का है और माननीय सदस्यों के आचरण से सभा की प्रतिष्ठा कम हुई है।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, जो इस सभा द्वारा ही बनायी और अंगीकृत की गई है, के अनुरूप सभा की कार्यवाही संचालित हो, यह केवल आसंदी ही नहीं, वरन् समस्त सदस्यों का भी दायित्व है और यदि माननीय सदस्य अपने इस दायित्व को नहीं निभाते और जान-बूझकर उनके स्वयं के द्वारा बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धांत और नियमों की अवहेलना करते हैं, ऐसी स्थिति में केवल आसंदी इस सभा की गरिमा बनाये रखने में अपने-आपको असहाय महसूस करती है और यही कारण है कि मुझे अत्यंत दु:ख, क्षोभ एवं खेद के साथ दिनांक 21 दिसम्बर को आसंदी से यह टिप्पणी करनी पड़ी थी कि माननीय सदस्य, जो स्वयं इस सभा के अविभाज्य अंग हैं, यदि इस सभा की गरिमा को बनाये रखने के प्रति गंभीर नहीं हैं तो यह मामला मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूँ।

आज तो प्रतिपक्ष के सदस्य उत्तेजना में नहीं अपितु सोच-समझकर उद्देश्यपूर्ण तरीकों से सभा के गर्भगृह में आएं और हल्के-फुल्के ढंग से निलम्बन करने हेतु टिप्पणियाँ व नारेबाजी करते रहे। प्रतिपक्ष के सदस्यों का यह आचरण निश्चित तौर पर सभा की गरिमा को जान-बूझकर कम करने वाला है व उनके द्वारा सभा के अन्दर किए गए आचरण से सभा की अवमानना हुई है।

चूँकि माननीय सदस्य सभा के अविभाज्य अंग हैं, अत: स्वयं की अवमानना करना उनके स्वयं के विचार का बिन्दु है और मुझे विश्वास है माननीय सदस्यों को इसका भान होगा, वे स्वयं को दोषी अनुभव करेंगे। अवमानना का यह मामला मैं यहीं समाप्त करता हूँ।

मैं सदन का ध्यान दिनांक 21 जुलाई, 2005 को गर्भगृह में प्रवेश करने की घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। दिनांक 21 जुलाई, 2005 को प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के गर्भगृह में प्रवेश करने के फलस्वरूप निलंबित होने के पश्चात यह व्यवस्था दी थी कि गर्भगृह में आने पर निलंबित होने का नियम सभा ने ही बनाया है। माननीय सदस्यों का सभा में अपनी बात रखने के लिए आग्रह करना तो ठीक है किन्तु यह परम्परा का स्वरूप न लें, ऐसी अपेक्षा है। प्रतिपक्ष की ओर से श्री भूपेश बघेल ने आसंदी को

यह विश्वास दिया था कि इस सदन ने जो नियम बनाये हैं, सब उनका पालन करेंगे और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

मैंने उपरोक्त एवं वर्तमान सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा सभा में किए गए असंसदीय व्यवहार एवं नियमों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के उल्लंघन के संबंध में अत्यंत गंभीरता से विचार एवं मनन किया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि केवल नियमों में उत्कृष्ट आचरण संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित कर लेना और पश्चात जान-बूझकर उनका उल्लंघन करने से ज्यादा बेहतर स्थिति यह होगी कि हम जिन नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं, उन्हें नियमावली से पृथक कर दिया जाए ताकि इस प्रदेश की दो करोड़ सात लाख जनता के समक्ष नियमों एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण सभा की गरिमा को किसी प्रकार का आघात न लग सके। मैंने इस परिप्रेक्ष्य में विचार-विमर्श के लिए यह मामला नियम समिति को सन्दर्भित करने का भी निर्णय लिया है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि दिनांक 5 जनवरी, 2002 को सर्वसम्मति से गर्भगृह में नहीं आने का प्रावधान नियमों में किया गया था ।

मेरा आज सत्र के समापन के अवसर पर संसदीय संस्कृति के इस महत्वपूर्ण बिन्दु का उल्लेख करने का आशय केवल यह है कि मैं माननीय सदस्यों के समक्ष यह यक्ष प्रश्न गंभीरतापूर्वक विचार एवं मनन के लिए रखना चाहता हूँ कि इस नवगठित राज्य की विधान सभा में उत्कृष्ट संसदीय संस्कृति निरंतर पुष्पित एवं पल्लवित हो इस हेतु, उन्हें कितनी गंभीरतापूर्वक उनके स्वयं के द्वारा बनाये गये नियमों एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए?

मैं सत्र समापन के अवसर पर पुन- सदन के माननीय नेता एवं नेता प्रतिपक्ष तथा समस्त माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहयोग एवं आसंदी के प्रति उनके द्वारा व्यक्त विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके फलस्वरूप मैं इस सभा की कार्यवाही को निर्बाध रूप से संचालित कर सका।

वर्ष 2005 का यह अंतिम सत्र था। मैं इस वर्ष के इस अंतिम सत्र के अंतिम क्षणों में आप सबको नव वर्ष की शुभकामनायें देता हूँ और यह कामना करता हूँ कि आप सभी सदैव स्वस्थ, सम्पन्न रहें और अपने राजनीतिक प्रतिबद्धताओं की पूर्तियों के साथ-साथ आप सबको संसदीय दायित्वों के निर्वहन में भी दक्षता हासिल हो।

मैं इस अवसर पर समस्त पत्रकार साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस सभा की कार्यवाही को इस प्रदेश की दो करोड़ सात लाख जनता के समक्ष प्रमुखता के साथ रखा और इस सभा द्वारा जनहित में लिए गए निर्णयों से प्रदेश की जनता को अवगत कराया।

मैं इस अवसर पर विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, राज्य शासन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने इस सभा की कार्यवाही में अपने दायित्वों का पालन करते हुए सहयोग दिया। सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सुरक्षा कर्मियों को भी बधाई देता हूँ।

मैं रायपुर दूरदर्शन को भी सभा की कार्यवाही के प्रसारण में सहयोग हेतु धन्यवाद देता हूँ।

इस सभा की यह परम्परा रही है कि आगामी सत्र की सम्भावित तिथियों की जानकारी सभा को दी जाती है। आगामी सत्र की सम्भावित तिथियां दिनांक 13 फरवरी से 30 मार्च, 2006 प्रस्तावित है।

पुन: आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए और इस कामना के साथ कि आने वाले वर्ष 2006 में आप सभी छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रतिष्ठा को संवर्धित करने का सशक्त माध्यम बन सकें। इसी विश्वास के साथ

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री एवं श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने भी इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किए।

20. राष्ट्रगान

(सदन में राष्ट्रगान जन-गण-मन संपन्न हुआ।)

अपराह्न 2.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा